न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, नोहर(हनुमानगढ)

पीठासीन अधिकारी डॉ. हरीतिमा आर0ए0एस

प्रकरण सं0 24 दिनांकः 06.12.2016

अनवान :– राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ।

– अपीलांट

बनाम्

रामप्रताप पुत्र खिराज जाति जाट निवासी रामगढ तहसील नोहर।

–रेस्पोडेन्ट

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही करने।

उपस्थितः– राजकीय अधिवक्ता

श्री मांगेराम गोदारा, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय **दिनांकः– 05.01.2018**

इस्तगाशा अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955।

सुक्ष्म रूप से इस्तागासा के तथ्य इस प्रकार से हैः–

1. दिनांक 28.01.2012 को संयुक्त जांच दल के साथ भादरा जाते समय रास्ते में ग्राम रामगढ स्थित एक दुकान जो बस स्टेण्ड के पास है, जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त जांच दल द्वारा जांच की गई। वरवक्त जांच दुकान पर श्री रामप्रताप पुत्र खिराज जाति जाट निवासी रामगढ उपस्थित था, जिसने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया एवं यह दुकान श्री रोहताश पुत्र अमीचन्द मेघवाल निवासी रामगढ से किराये पर लेना बताया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ)

2. जांच दल में श्री सुरेश शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक एवं रघुनाथ सिंह राठोड खाद्य सुरक्षा अधिकारी व दीपक सिंगला स्पॉट एनेलिस्ट साथ थे।
3. दुकान की जांच करने पर दुकान के अन्दर 15 गैस सिलेण्डर रखे हुए पाये गये जिनका विवरण सलंग्न फर्द मौका एवं जब्ती में दर्ज है। जब्त किये गये 15 सिलेण्डरों में सात व्यवसायिक व आठ घरेलू उपयोग के सिलेण्ड थे। घरेलू उपयोग के सिलेण्डरों में तीन बीपीसी से व चार रिलायंस कम्पनी के सिलेण्डर थे एवं व्यवसायिक सिलेण्डरों में 6 बीपीसी के व एक इण्डेन का सिलेण्ड था।
4. श्री रामप्रताप पुत्र खिराज द्वारा उक्त सिलेण्डरों का भण्डारण अवैध रूप से कर रखा था एवं इसके पास उक्त सिलेण्डरों के रखे होने का कानूनी सबूत नही था एवं इन सिलेण्डरों को हरियाणा राज्य की गेस एजेन्सी व नोहर की गैस एजेन्सी से अवैध रूप से भरा हुआ प्राप्त कर ब्लैक में बेचने का कार्य व एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का कार्य किया जाता है। वजह सबूत मौके से पीतल की चार छोटी व लोहे की एक बडी बांसुरी मिली जिन्हे वजह सबूत जब्त किया गया। इन बासुरियों के माध्यम से एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में गैस भरी जाती है। फर्द मौका दिनांक 28.01.2012 में भी रामप्रताप द्वारा ऐसा किया जाना स्वीकार किया है।
5. इस प्रकार बिना अनुज्ञा पत्र एवं अवैध रूप से घरेलू व व्यवसायिक सिलेण्डरों का भण्डारण व विक्रय एवं अन्य सिलेण्डर में गैस भरने पर वजह सबूत मौके पर पाये गये 15 सिलेण्डर व पांच बांसुरियों को जब्त किया एवं सूरक्षा की दृष्टि से नोहर की स्थानीय गैस ऐजेन्सी श्रीजुगल गैस एजेन्सी नोहर के मैनेजर श्री प्रभु शर्मा पुत्र श्री नानूराम शर्मा की सुपुर्दगी में दिया जाकर फर्द सुपुर्दगी पृथक से तैयार की गई।

इस प्रकार अप्रार्थी के द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3(सी) 4(ए) 6 का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा वस्तुओं को राजसात करने के आदेश फरमावें।

इस्तागासा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित आये। जबाव इस्तगासा पेश किया। साक्ष्य में दस्तावेजी सबूत भी प्रस्तुत किये।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पर्वतन निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा से साबित है कि अप्रार्थी पेट्रोलियम गैस से भरे हुए सिलेण्डर को दुसरे सिलेण्डर में भरकर अवैध रूप से बेचने का कार्य करता है। सिलेण्डर भरने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

के लिए प्रयुक्त होने वाली बांसुरी भी अप्रार्थी के पास पाई गई पांच बांसुरियों को जब्त किया गया है। मौके पर घरेलु व व्यवसायिक 15 सिलेण्डर पाये गये जिनको जब्त किया जाकर फर्द मौका तैयार की गई है। मौके पर दुकान मालिक व अन्य व्यक्ति भी उपस्थित मिले जिनके हस्ताक्षर करवाये गये है। अप्रार्थी द्वारा यह कहना कि उसके पास जो सिलेण्डर थे वे अन्य लोगों के थे। इस्तगासा मनगढत आधार पर तैयार किया गया है कथन कतई गलत व निराधार है। अप्रार्थी के पास इस संबंध में कोई साक्ष्य व सबूत नही है। अप्रार्थी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस(प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के क्लॉज 3(सी) 4(ए) 6 का उल्लंघन किया है। अतः जब्तशुदा सिलेण्डरों को राजसात किया जावे व अप्रार्थी के विरूद्ध शास्ति भी कायम की जावे।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी किराने की दुकान करता है। रसद विभाग का जांच दल दुकान पर आया तो दुकान के आगे 15 सिलेण्डर रखे हुए थे जिसमें 4 रिलायंस गैस के थे जो खराब थे, शेष भारत गैस ऐजेन्सी के कनेक्शनधारियों के सिलेण्डर थे जो भरवाने के लिए रखे हुए थे, उस दिन गाडी आनी थी। अप्रार्थी ना तो अवैध गैस भरने का कार्य करता है ना ही अवैध विक्रय करने का कार्य करता है। जांच दल को मैने इस संबंध में बताया तो उन्होनें मेरी कोई बात नही सुनी। भारत गैस के पांच सिलण्डर जिनके है उनके द्वारा शपथ पत्र व गैस कनेक्शन के प्रमाण पेश किये है। कार्यवाही इस्तागासा विधि विरूद्ध इस लिए ड्रोप फरमाई जावे एवं जब्तशुदा सिलेण्डर जिनके है उन्हे वापिस लौटाने के आदेश फरमावें।

हमने बहस सुनी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। जब्त किये गये सिलेण्डरों की संख्या 15 जिनमें 6 सिलेण्डर व्यवसायिक व 9 सिलेण्डर घरेलु उपयोग के थे जिनमें से 4 रिलायंस कम्पनी थे। उपरोक्त के अलावा 5 बांसुरियां भी जब्त की गई है जो एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने के काम में आती है। व्यवसायिक सिलेण्डरों का दुकान पर मिलना यह सिद्ध करता है कि अप्रार्थी अवैध सिलेण्डर विक्रय का कार्य करता है। 5 सिलेण्डर जो कनेक्शनधारियों के है जिनके द्वारा शपथ पत्र दिए गए है कि उक्त सिलण्डर गैस भरवाने के लिए रखे गये थे क्योंकि उस दिन सप्लाई आनी थी। परन्तु शेष 10 सिलेण्डरों के बारे में ना तो अप्रार्थी सबूत प्रस्तुत कर सका ना ही ऐसे कोई तथ्य पेश किये जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह सिलेण्डर अन्य व्यक्तियों के है।

अतः 5 सिलेण्डर जो कनेक्शनधारियों के हैं उन्हे वापिस लौटाये जावें व उनसे रसीद प्राप्त की जावे। मूल गैस कनेक्शन कापी से सत्यापित भी किया जावे। शेष 10 सिलेण्डर व 5

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बांसुरियां जो जब्त किये गये है को राजसात किया जाता है व इनका निस्तारण जिला रसद अधिकारी नियमानुसार करें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को भिजवाई जावे।

इस निर्णय का किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में किसी प्रकार का प्रभाव नही होगा।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)